"ऋण"

(1) 1,000 रुपये प्रति परिवार की दर से नायलन के बने मछली पकड़ने के जाल प्रति परिवार 20 (10 प्रथम वर्ष में और 10 द्वितीय वर्ष में दिए जायेंगे)

(2) 250 रु० प्रति परिवार की दर से जाल के लिए डोरी और तुम्बी इत्यादि ।

(3) 15 रुपये प्रति परिवार की दर से मत्स्य विभाग को अग्रिम रायल्टी ।

(4) प्रति परिवार 1,250 रुपये की दर से गृह निर्माण ऋण ।

(5) "बुख" या तारपीडो मैरीन डीजल इंजन युक्त 301 की यंत्रीकृत नौकायें ।

(6) 11' x 2' x1½' आकार की मछली पकड़ने की नौकायें ।

(7) नौकाओं के अनुरक्षण के लिए पेट्रोल तेल और स्नेहक (लुब्रीकेंट)

अनुदान

(1) मछली ले जाने के लिये जीप पिकअप गाड़ी ।

(2) चलते-फिरते चल-चित्र ।

(3) 3 महीने के लिए 70/- रुपये प्रति महीने प्रति परिवार की दर से अधिकतम भरण पोषण सहायता ।

कपास, मूंगफली, तिलहन तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही

713. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में देश में कपास मूंगफली अन्य तिलहनों और गन्ने के उत्पादन में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख). 1967-68, 1968-69 और 1969-70 के दौरान, कपास, मूंगफली, अन्य तिलहनों और गन्ने के उत्पादन के आंकड़े और मूंगफली के लिये 1970-71 के आंकड़े निम्नप्रकार हैं :—

फसल	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
	(प)	(प)		
कपास (००० गांठे, 180 किलोग्राम प्रति गांठ)	5454	5144	5233 (फ)	उपलब्ध नहीं
मूंगफली (००० मीटरी टनों में)	5731	4631	5130 (प)	6065 (फ)
अन्य तिलहन (००० मीटरी टनों में) (अरन्डी, तिल, तोरिया, सरसों और अलसी)	2572	2214	2465 (फ)	उपलब्ध नहीं
गन्ना (गुड़) (००० मीटरी टनों में)	9786	12826	13438 (फ)	" "

(प) आंशिकरूप से पुनःशोधित आंकड़े ।

(फ) अन्तिम आंकड़े ।

1968-69 के दौरान, उपयुक्त फसलों के (गन्ने के अतिरिक्त) उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कमी हुई फिर भी 1969-70 के दौरान, इन सभी फसलों के उत्पादन में 1968-69 की अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई। 1968-69 के दौरान इन फसलं के उत्पादन में हुई कमी मुख्यतया बुवाई के समय तथा फसलों के उगाने के समय मौसम की गड़बड़ के कारण थी ।

1970-71 के दौरान, मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रहा । फिर भी, कपास के उत्पादन में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अपेक्षाकृत कमी होने की आशा है । 1970-71 के दौरान गन्ने के उत्पादन में 1969-70 से थोड़ा ही अन्तर होने का अनुमान है ।

(ग) वर्तमान विस्तृत कृषि योजना के अन्तर्गत कार्य की गति को तीव्र किया जा रहा है । समन्वित सुधार योजनाओं के अन्तर्गत अनुसन्धान पर काफी बल दिया गया है । कपास विकास के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 14.74 करोड़ रु० के परिव्यय से सघन कृषि जिला कार्यक्रम की प्रणाली के अनुरूप एक नई सघन कपास जिला विकास योजना तैयार की गई । कपास की एक संकर किस्म (संकर-4) का जिससे सम्भाव्य उत्पाद में काफी बढ़ौतरी होने की आशा है, उपयुक्त क्षेत्रों मे प्रयोग किया जा रहा है । परम्परागत तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त, सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसी नई फसलों के उत्पादन के लिए विशेष योजनायें लागू की गई हैं । इससे तिलहनों के कुल उत्पादन की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी ।

Import of Billets

7104. SHRI N. K. SANGHI : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether Hindustan Steel Limited have failed to import 5,000 tonnes of electrode quality of billets in the recent past ;

(b) if so, the factors responsible for this ; and

(c) the steps Government have taken for import of billets or to substitute it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) to (c). Hindustan Steel Limited was advised to import 5,000 tonnes of electrode quality billets in April, 1971. By the time the detailed specifications for this quantity could be obtained and release orders could be issued, a decision was taken by Government to canalise the import of billets through Minerals and Metals Trading Corporation of India Limited. HSL have since passed on the utilized foreign exchange release and all connected information to the M.M.T.C. for necessary action.

Views of States on Bringing Land Reforms in Line with National Policy

7105. SHRI BHOGENDRA JHA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply to Unstarred Question No. 4329 on the 8th July, 1971 and state :

(a) the names of the State Governments which have brought their respective tenancy laws in line with the national policy by reducing ceilings and fixing the same family basis etc. ; and

(b) the cause of non-implementation of the same by other State Governments and what steps are being taken to bring them in line without further delay ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHIB P. SHINDE) : (a) and (b). By recent amendments the level of ceiling has been reduced in West Bengal from 25 acres to 12.4 acres (5 hectares) in irrigated areas and 17.3 acres (7 hectares) in case of other areas ; the ceiling is applicable to the aggregate area of land held by all the raiyats in a faimly. In Assam, the ceiling limit has been reduced from 50 to 25 acres. In Kerala, the level of ceiling had been reduced to 10 standard acres (12 to 15 ordi-